राजस्व वाद संख्या 282/2024 उनवान सोहन वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 282/2024

अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1. सोहन पुत्र गंगाराम 2. वीरो पत्नी गंगाराम जाति विश्नोई निव बामड़ला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. तहसीलदार सेड़वा

उपस्थित :प्रार्थीगण वकील – श्री श्रीराम विश्नोई

दिनांक :– 25.11.2025

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण सोहन पुत्र गंगाराम जाति बिश्नोई निवासी बामड़ला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत मौजा बामडला पटवार क्षेत्र बामडला भू – अभिलेख निरीक्षक बामडला तहसील सेडवा में खसरा संख्या 739/100 रकबा 8–4336 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। मौजा बामडला पटवार क्षेत्र बामडला भू – अभिलेख निरीक्षक बामडला तहसील सेडवा में प्रार्थीगण का खेत खसरा संख्या 739/100 रकबा 8.4336 हैक्टेयर किस्म बारानी मे से प्रार्थीगण द्वारा आपसी सहमति से 0–3723 हैक्टेयर (2.06 बीघा) भूमि का रास्ते हेतु राज्य सरकार के पक्ष मे समर्पण किया गया था। वर्तमान समर्पण भूमि संख्या 1060/100 रकबा 0.3723 हैक्टेयर अभी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। प्रार्थीगण आपसी सहमति से उक्त भूमि का रास्ते हेतु समर्पण करते समय हल्का पटवारी बामडला को आपसी भाइयो के बाहमी बटवाडा अनुसार एवं खसरा संख्या 96, 97, 98 के सेढे – सेढ 13 फुट चोडाई का व प्रार्थीगण के पुराने घर तक 13 फुट चौडाई एवं आगे खसरा संख्या 101 तक 20 फुट चोडाई का भूमि समर्पण करने का नक्शा तैयार करने हेतु कहा गया, लेकिन हल्का पटवार ने भूल– वश से खसरा संख्या 96, 97, 98 के सेढे – सेढ होते हुए खसरा संख्या 101 तक का नक्शा बनाकर प्रस्तुत कर दिया और प्रार्थीगण के घर तक जाने वाले रास्ते का नक्शा बना साथ प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन समर्पण भूमि का रकबा साथ में लिखकर भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में करवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.20 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

दिया। समर्पण प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर में होने से पटवारी द्वारा आनन–फानन में प्रार्थीगण के घर तक जाने वाले रास्ते का नक्शा बनाना एवं समर्पण आदेश होने के बाद नक्शा मे तरमीन करते समय हल्का पटवारी की स्थानांतरण हो गया, समर्पण भूमि की तरमीम नियमानुसार संलग्न नक्शे अनुसार की गई। आवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में जो भूमि बरंग लाल के रूप में दर्शाई गई है, वहां पर तरमीम की जानी है, यानि परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार प्रार्थीगण तरमीम दुरुस्त करवाना चाहते हैं, जिस हेतु आवेदन वास्ते तरमीम दुरुस्ती का प्रस्तुत है। परिशिष्ट ''अ'' को आवेदन का अभिन्न अंग समझा जावें। अतः तरमीम दुरुस्ती का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा बामड़ला पटवार क्षेत्र बामड़ला भू अभिलेख निरीक्षक बामड़ला तहसील सेड़वा के वर्तमान समर्पण भूमि खसरा संख्या 1060/100 रकबा 0–3723 हैक्टेयर की नक्शा में पूर्व में की गई तरमीम को खारिज कर संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में दर्शाए अनुसार दुरुस्त करवाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस तलब किए। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक रीडर/2024/10 दिनांक 09.01.2025 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2025/644 दिनांक 10.07.2025 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन **''दिनांक 15.06.2025 को मौके पर उपस्थित मोतबरान के रूबरू खसरा संख्या 1060/100 रकबा 0–3723 हैक्टेयर का मौका मुआयना किया गया। खसरा नंबर 1060/100 रकबा 0–3723 हैक्टेयर पूर्व खसरा नंबर 739/100 में से रास्ते में से रास्ते प्रयोजनार्थ समर्पण किया गया (तहसीलदार सेड़वा के आदेश क्रमांकः राजस्व/2018/130–132/24.01.2018) समर्पण आदेश प्रति संलग्न है। समर्पण करवाते वक्त प्रार्थी सोहनलाल के घर तक समर्पण करवाना था, जिसका रकबा समर्पण भूमि में संलग्न है। लेकिन मानवीय भूल [illegible]ण सम्पूर्ण रास्ता एक तरफ ही रखा गया है, तत्पश्चात काश्तकारों की मानवीय भूल के [illegible] नियमानुसार आदेश की पालना में नामान्तरकरण 1270/12.12.2018 को पारित कर दिया गया। प्रार्थी सोहनलाल वगैरा खसरा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.20 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

नंबर 1060/100 रकबा 0–3723 हैक्टेयर समर्पण भूमि (रास्ते हेतु) को एक तरफ सेढा–सेढा न रखकर उनके आवास(निवास) तक करवाने हेतु मौके पर सहमति प्रदान की। मौके पर परिशिष्ट "ब" अनुसार खसरा नंबर 1060/100 रकबा 0–3723 हैक्टेयर को बरंग हरा दर्शाया गया है। फर्द मौका मौके पर तैयार कर उपस्थित मोतबरान को पढकर सुनाई गई एवं हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवाए गए।"

प्रार्थीगण वकील उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 282/2024 उनवान सोहन वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन मौजा बामड़ला पटवार क्षेत्र बामड़ला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बामड़ला तहसील सेड़वा में खसरा नम्बर 1060/100 रकबा 0–3723 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की तहसीलदार सेड़वा द्वारा दर्शाए गए परिशिष्ट "ब" अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों तथा तहसीलदार सेड़वा के तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर युक्तियुक्त विचारण के उपरांत जांच प्रतिवेदन में दर्शित परिशिष्ट "ब" अनुसार **राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2025/644 दिनांक 10.07.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.06.2025, नक्शा किस्तवार, परिशिष्ट "ब", जमाबंदी आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक .... खुले इजलास में सुनाया गया।

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.20 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 644

दिनांकः—10.07.2025

प्रेषितः— श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला— बाड़मेर)

विषयः— राजस्व वाद संख्या 262 / 2024 अनवान सोहनलाल वगैरह बनाम तहसीलदार सेडवा अन्तर्गत RLR धारा 136,131 में तरमीम दुरस्ती रिपोर्ट भेजने बाबत।

प्रसंगः— श्रीमान जी आपके राजस्व वाद संख्या 262 / 2024 के के कम में

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 262 / 2024 अनवान सोहनलाल वगैरह बनाम तहसीलदार सेडवा अन्तर्गत RLR धारा 136,131 में तरमीम दुरस्ती के सम्बन्ध में राजस्व ग्राम बामडला के खसरा नंबर 1060 / 100, 739 / 100 में तथ्यात्मक रिपोर्ट आप द्वारा चाही थी। जिसकी भू.अभिलेख निरीक्षक बामडला द्वारा दिनांक 15.06.2025 को मौका जांचकर वादी प्रतिवादी व पड़ोसियों मौतबरानों सहखातेदारों के रूबरू जांच रिपोर्ट तैयार की गई। जो इस पत्रांक के सलंग्न भिजवाई जा रही है।

सलंगनः— उरोक्तानुसार

भवदीय

(पन्नाराम चौधरी)
तहसीलदार (भू.अ.)सेड़वा

Signature valid
Digitally signed by Panna Ram
Designation: Tehsildar
Date: 2025.07.10 18:00:06 IST
Reason: Approved

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.20 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested

Ref No.: 16481274

फर्द मौका तरमीम भूमि

प्रथम कॉपी

आज दिनांक 15/6/25 को मौजा बामड़ला स्थित श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व वाद सं. 262/2024 निर्णय दिनांक 09/01/25 उनवान सोहनलाल बनाम तहसीलदार सेड़वा एवम् श्रीमान तहसीलदार सेड़वा के आदेश/क्रमांक/भु.अ./213-214 दिनांक 29/01/2025 कि पालना मे मौजा बामड़ला के मौके पर पहुंचा।

मौके पर उपस्थित मौतबरान के रूबरू खसरा नं. 1060/100 रकबा 0.3723 हैक्टेयर का मौका मुआयना किया गया।

खसरा नं. 1060/100 रकबा 0.3723 है. पूर्व ख. नं. 739/100 मे से रास्ते प्रयोजनार्थ हेतु समर्पण किया गया था। (श्रीमान तहसीलदार सेड़वा के आदेश/क्रमांक/राजस्व/2018/130-132/24.01.18) समर्पण आदेश प्रति सलग्न है।

समपर्ण करवाते वक्त प्रार्थी सोहनलाल के घर तक समर्पण करवाना था जिसका रकबा समर्पण भूमि मे सलग्न है। लेकिन मानवीय भुल के कारण सम्पूर्ण रास्ता एक तरफ हि रखा गया है। तत्पश्चात काश्तकारो कि मानवीय चुक के ~~[illegible]~~ बाद नियमानुसार आदेश कि पालना मे नामान्तरण 1270/12/11/18 को पारित कर दिया गया।

प्रार्थी सोहनलाल वगैरह ख. नं. 1060/100 रकबा 0.3723 हैक्टेयर समर्पण भुमि (रास्ते हेतु) को एक तरफ सेड़ा-सेड़ा न रखकर उनके आवास (निवास) तक करवाने हेतु मौके पर सहमती प्रदान कि।

मौके पर परिवाद "ग" अनुसार खसरा नं. 1060/100 रकबा 0.372 हैक्टेयर को बोरंग हरा दर्शाया गया है।

फर्द मौका मौके पर तैयार कर उपस्थित मौतबरान को पढकर सुनाई गयी एवम् हस्ताक्षर (अगुठा) करवाये गये।

सलग्न :- नक्शा प्रति बोरंग हरा
: जमाबंदी नकल।
: समर्पण आदेश।
: नामान्तरण प्रति।

15/6/25
प. बामड़ला

15/06/2025
ILR बामड़ला

तहसीलदार (भु.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.20 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested

सोहनलाल [illegible] सदराम
भारमलराम
बाबूलाल
श्रीराम
अ.
चुकी
अ. भागीरथ

नक्शा - ट्रेसिंग
मौजा - बामड़ला
पैमाना - 1" = 20 गट्ठा

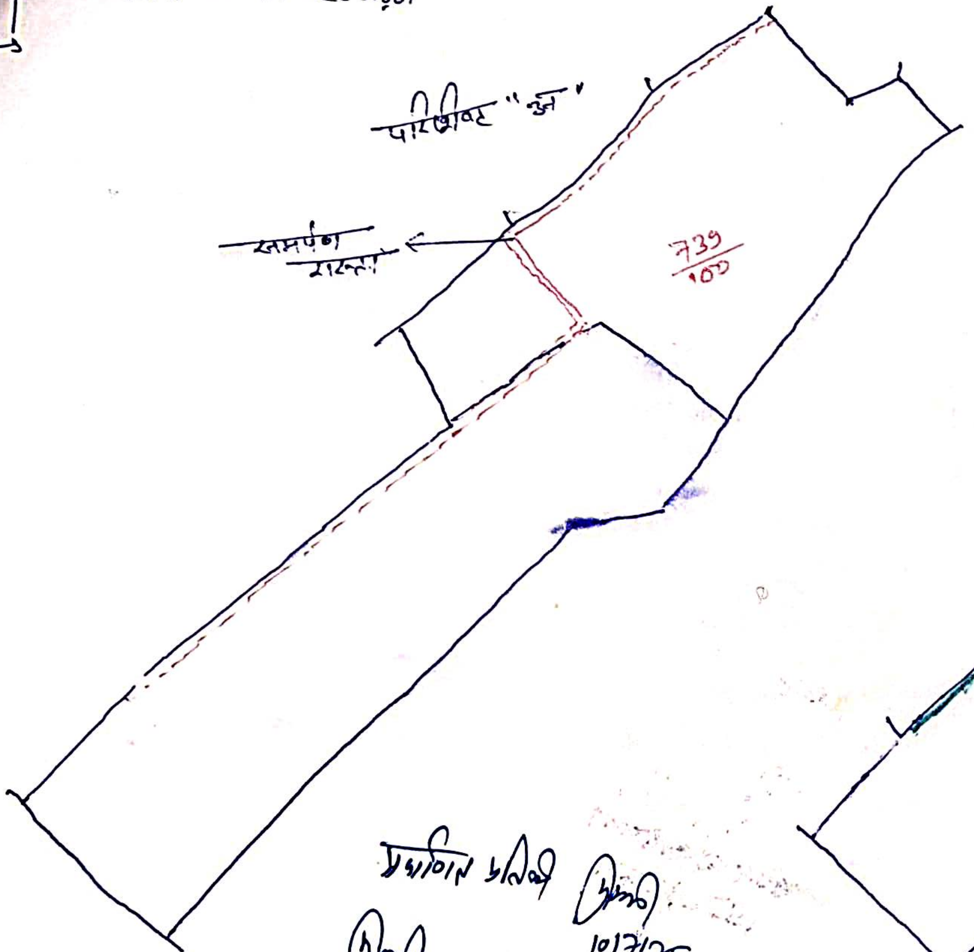

प्रमाणित प्रतिलिपि

10/7/25

ह० बामड़ला

सोहनलाल डिगोर्स
आरमलराम
बाबूलाल

सुनिल
श्रीराम

अं० पलटन
अं० बैजू
अं० मुन्ना
छकी
अं० सुनीता

C.I.
तहसीलदार (प्र.अ.) सेड़वा

15/7/2025
ILR बामड़ला

प्रथम
SDO सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.20 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested